

अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णिया बिहार

समक्ष- सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.-209/2014 / सी.आई.एस. क्र.-209/2014

सत्यनारायण मेहता बनाम विशुनदेव मेहता एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
08 /04 /25	वादी एवं प्रतिवादी सं. 1,2 एवं शेष प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। यह वाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 06/12/24 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को संचालित कर प्रतिवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष की गवाही दिनांक 16/08/24 को बंद कर दी गयी है परन्तु प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत लगान रसीद प्रदर्श अंकित नहीं हो सका है अतः निवेदन है की दिनांक 16/08/24 के आदेश को वापस लेकर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाय। वादी के द्वारा प्रतिउत्तर न प्रस्तुत कर मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभयपक्ष को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है की प्रतिवादी प्रथम पक्ष की गवाही दिनांक 16/08/24 को बंद कर दी गयी है जबकि कुछ दस्तावेज प्रदर्श अंकित किया जाना रह गया है। वाद के प्रभावी एवं न्यायपूर्ण निराकरण के लिए उभय पक्ष के साक्ष्य को अभिलेख पर लाया जाना न्यायसंगत है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के उक्त आवेदन को इस शर्त पे स्वीकृत किया जाता है कि प्रतिवादी दो तिथि के भीतर अपना साक्ष्य पूर्ण कराएँगे। वाद दिनांक 28 /04/25 को प्रतिवादी प्रथम पक्ष के साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित- असैनिक न्यायाधीश(व.को.) बनमनखी, पूर्णिया	